कार्यालय नजारत, दीवानी न्यायालय, सीतापुर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **वित्तीय वर्ष 2024–2025** में दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर में निम्नलिखित दुकानों को लगाये जाने सम्बन्धी नीलामी दिनांक **21–03–2024 को समय 4.30** बजे दिन में दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर के सभागार में की जायेगी। नीलामी खुली बोली के आधार पर होगी, इच्छुक व्यक्ति उल्लिखित नियम व शर्तों के साथ नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकतें है।

ठेके का नाम

1. गेट संख्या 3 पर पर ठेका फोटोग्राफी ब्लैक एण्ड व्हाइट की दुकान हेतु जो वर्तमान में संचालित है।
2. कम्प्यूटर कम्पोजिंग कार्य की दुकान हेतु गेट संख्या–3 के बायीं तरफ बाहर रिक्त चबूतरे के स्थान पर।
3. गेट संख्या–3 के दायीं तरफ बने हुए चबूतरे पर फल फ्रूट अथवा चाट आदि की दुकान का ठेका।
4. गेट संख्या–2 पर लोवर लाकप के निकट कोलड्रिंक शरबत आदि पेय पदार्थ विक्रय का ठेका।
5. गवाह घर के निकट एक ठेला पानी शरबत आदि पेय पादार्थ हेतु ग्रीष्म कालीन मौसम में विक्रय का ठेका।
6. त्वरित न्यायालय भवन में दक्षिण तरफ विधिक सेवा परामर्श केन्द्र के पीछे रिक्त स्थान को चाय पकौड़ा आदि की दुकान का ठेका।
7. गेट संख्या–4 पर शीतल पेय, शरबत आदि पेय पदार्थ ग्रीष्म कालीन मौसम में विक्रय का ठेका।
8. गेट संख्या–5 के निकट रिक्त भूमि पर बनी हुयी दुकान में फोटोकापी का कार्य का ठेका।
9. गेट संख्या–5 स्थित रिक्त भूमि पर फल, चाट, कोलड्रिंक आदि खाद्य वस्तुओं की बिक्री हेत ठेका।
10. गेट संख्या–1 दायीं तरफ के रिक्त स्थान पर टिक्की पकौड़ा आदि खाद्य वस्तुओं अथवा लाई चना आदि का ठेका।

नियम व शर्ते

नोटिस में क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित ठेके की बोली में सम्मिलित होने के लिए **30000/–रू0** की जमानत राशि तथा शेष ठेकों की बोली हेतु **10000/–रू0** जमानत राशि कार्यालय नजारत में **दिनांक 21.03.2024 को** समय 1.30 बजे दिन तक नकद जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे बोली में भाग लेने का हक नही होगा ।

1. बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने या पुनः बोली कराने का अन्तिम एवं पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा ।
2. ठेकेदार को बोली का 1/4 हिस्सा तुरन्त तथा शेष धनराशि नीलामी स्वीकृत के एक सप्ताह तक अवश्य जमा करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और जमानत राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका पुनः होगा।
3. ठेकेदार दूकान के चारो ओर सफाई रखेगा ठेकेदार बिना अनुमति कोई निर्माण अस्थायी अथवा स्थायी नही करेगा। ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई मजमा आदि नही लगवा सकेगा।
4. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली अस्वीकृत कर दे।
5. ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा यदि वह ऐसा करता पाया जाएगा तो उसकी राशि बहक सरकार जब्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
6. ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त ठेके का कब्जा सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त प्रदान करना होगा अन्यथा स्थिति में उससे **10,000/–** रू0 प्रति माह की धनराशि वसूल की जायेगी।
7. बोली में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड/ पैन कार्ड आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन एवं बिना कारण बताये ठेके को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपरोक्त शर्तो से यदि कोई व्यक्ति सहमत हो तो वह उपरोक्त वर्णित दिनांक व समय पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकता है।

15/3/24

अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला जज कोर्ट संख्या–1
जनपद न्यायालय, सीतापुर

संख्या समांक एवं तद्दिनांकित।

संख्या दिनांकः– 14..03.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।
2. प्रतिलिपि नोडल आफीसर कम्प्यूटर को सीतापुर की बेबसाइट पर सूचना हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी नजारत को नीलामी कार्यवाही की व्यवस्था कराये जाने स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित।
4. प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नीलामी सूचना पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

दिनांकः– 15.03.2024

अध्यक्ष नीलामी समिति,
अपर जिला जज कोर्ट संख्या–1,
जनपद न्यायालय सीतापुर।